GUIDELINES FOR PROMOTERS ABOUT COMPLETION OF 'QUARTERLY PROGRESS REPORT' (QPR) FOR QUARTER ENDING 31.03.2023 IN REAL ESTATE PROJECTS.

Reference (Attached): UP-RERA Press Release dated 13.04.2023.

That all the Promoters are hereby informed to update their respective Quarterly Progress Report (QPR) of their registered Projects on the UP-RERA web portal by 20.04.2023 post which a penalty of Rs. 10,000/- shall be levied for the delay.

If any queries, please feel to contact us at:

RERA Advisor
Juris Unitas LLP
SPECIALISED LEGAL SERVICES

Email Id: smathur.vfac@gmail.com

Mobile No. +91-8130743927

उत्तर प्रदेश भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण
प्रेस विज्ञप्ति
अप्रैल 13, 2023

उ.प्र. रेरा पोर्टल पर प्रोमोटर्स अपनी परियोजनाओं की त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट 15 अप्रैल तक अपलोड करें

भू-सम्पदा (विनियम एवं विकास) अधिनियम, 2016 की धारा-11(1) के अन्तर्गत प्रोमोटर्स द्वारा रेरा पोर्टल पर अपनी रियल एस्टेट परियोजनाओं की प्रति **'त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट'** अपलोड करना एक **'अनिवार्य प्राविधान'** है। इसी प्राविधान के अन्तर्गत उ.प्र. रेरा द्वारा जनवरी से मार्च 2023 की तिमाही के लिए पंजीकृत परियोजनाओं की 'त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट/ क्यूपीआर' अपलोड करने की अंतिम तिथि **15 अप्रैल 2023** निर्धारित की गई है। इसमें प्रोमोटर्स को परियोजना के टावर, फ्लोर, परिष्करण/ फिनिशिंग, आंतरिक बुनियादी ढांचे के निर्माण, कॉमन फेसिलिटीज के विकास और अन्य सुविधाओं की वास्तविक निर्माण स्थिति की फोटो उ.प्र. रेरा वेबसाइट (www.up-rera.in) पर अपलोड करनी होती हैं जो **सार्वजनिक तौर पर सभी हितधारकों के लिए उपलब्ध** होती है। क्यूपीआर के साथ परियोजना प्रगति से सम्बन्धित चार्टर्ड एकाउंटेन्ट, इंजीनियर एवं आर्किटेक्ट के प्रमाण पत्र भी पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होता है।

उ.प्र. रेरा की वेबसाईट पर क्यूपीआर एवं उक्त प्रमाणपत्रों की उपलब्धता से रियल एस्टेट सेक्टर के सभी हितधारकों, विशेष रूप से घर खरीदार, को प्रति तिमाही **परियोजना की वास्तविक निर्माण स्थिति और अधतन स्थिति की जानकारी** प्राप्त होती रहती है। प्रोमोटर को प्रदान की गई इस जिम्मेदारी का उद्देश्य परियोजना के निर्माण प्रगति व विकास में पूर्ण पारदर्शिता लाना हैं जिससे **घर खरीदार परियोजना में निवेश करने के सम्बन्ध में विवेकपूर्ण निर्णय लेने में सक्षम** हो सके। इसके अलावा, आवश्यकतानुसार, **परियोजना निर्माण एवं विकास में विलम्ब होने पर प्राधिकरण रेरा अधिनियम के अनुकूल परियोजना पूर्ण कराने हेतु प्रोमोटर को उचित दिशा-निर्देश जारी कर सके**। वर्तमान में उ.प्र. रेरा में लगभग 3390 रियल एस्टेट परियोजनाएं पंजीकृत है जिनमे से लगभग 1355 परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी है।

कई प्रोमोटर्स द्वारा उ.प्र. रेरा की वेबसाईट पर नियमित तौर पर क्यूपीआर अपलोड नहीं किया जाता हैं जो रेरा अधिनियम के उद्देश्यों के प्रतिकूल है। रेरा अधिनियम की धारा-11 का नियमित रूप से अनुपालन न करने वाले प्रोमोटर्स पर प्रति तिमाही रुपये 10,000 अर्थ दण्ड आरोपित करने का प्राविधान भी है। परियोजना की त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट अपलोड करने हेतु प्रोमोटर्स को प्रत्येक तिमाही समाप्त होने के पूर्व प्राधिकरण से उनके पंजीकृत मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल आईडी पर अनुस्मारक पत्र या नोटिस प्रेषित किए जाते है। **प्रोमोटर्स की सुविधा हेतु क्यूपीआर एवं उक्त प्रमाणपत्रों को पोर्टल पर अपलोड करने की तिथि 20 अप्रैल 2023 तक करने हेतु प्राविधान किया गया है। अतः 20 अप्रैल तक सभी प्रोमोटर्स द्वारा अपनी पंजीकृत परियोजनाओं की क्यूपीआर रेरा वेबसाईट पर अपलोड करना अपेक्षित है।** इस तिथि के उपरान्त अपडेट करने पर विलम्ब शुल्क रोपित हो जाएगा।

राजेश कुमार त्यागी
सचिव